न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 19/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00152

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
खीमाराम पुत्र श्री भीमाराम जी, कौम–घांची निवासी–सांडेराव तहसील सुमेरपुर		राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 02.11.2020

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 43/2020 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम खीमाराम पुत्र भीमाराम कौम घांची निवासी सांडेराव में पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 के विरुद्ध पेश की। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का सांडेराव द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ग्राम मौजा सांडेराव–I के खसरा नम्बर 755/2762 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम पर संवत् 2077 में अपीलाण्ट द्वारा बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2020 दर्ज कर अपीलाण्ट को तलब किया गया। अपीलाण्ट के विरूद्ध वार्षिक लगान का 50 गुना राशि 200 रूपए जुर्माना आरोपित किया गया एवं पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया एवं अपीलाण्ट को जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु आदेश पारित किये गये। जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। एवं अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं किया तथा अपीलांट से जवाब नहीं लिया जाकर एकतरफा आदेश पारित कर दिया भूमी की किस्म बारानी प्रथम है जो नियमन योग्य होने से प्रार्थी के नियमन किया जाना चाहिए था गैर सायल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 15.06.1993 को ग्राम सांडेराव के फतेहसिंह राजपूत से खसरा नम्बर 415 की भूमि खरीद की गई। जिसके नए खसरा नम्बर 755 होने से अपीलांट द्वारा राजस्व रेकर्ड में संशोधन नहीं करवा सकने की वजह से भूमि सिवायचक दर्ज है इस बाबत उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अपीलांट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है जैर अपील आराजी अपीलांट की खरीदसुदा भूमि होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा के खसरा नम्बर 755/2762 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम पर संवत् 2077 में अतिक्रमण कर बाड़ा बनाया गया है। जिस बाबत पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कारवाई हेतु पश्चातवृती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष पेश की जिस पर अपीलांट को जरिये नोटिस तारीख पेशी दिनांक 21.07.2020 को तलब किया गया उक्त नोटिस अपीलांट स्वयं के द्वारा तामील किया गया है। [illegible] अपीलांट के हस्ताक्षर से स्पष्ट है। अपीलांट बावजूद तामील अनुपस्थित र[illegible] तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में ला[illegible] द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 180/19 निर्णय दिनांक [illegible] अपीलांट को उक्त अ[illegible] भौतिक रूप से बेदखल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:36:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः..........2

तथा पटवारी हल्का सांडेराव द्वारा मातहत अदालत की पत्रावली में दिनांक 03.10.2019 को अपीलांट को जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया उसकी भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है। इससे अपीलांट का पश्चातवृती अतिक्रमण होना सिद्ध होता है अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे। जहाँ तक अवसर दिये जाने का प्रश्न है। प्रार्थी को नोटिस दिनांक 01.07.2020 को दिया गया एवं सुनवाई दिनांक 21.07.2020 को मुकर्रर थी इस बीच 20 दिवस का समय जवाब एवं दस्तावेज पेश करने हेतु पर्याप्त था लेकिन अपीलांट द्वारा तारीख पेशी पर ना तो उपस्थित हुआ न ही किसी प्रकार का जवाब, दस्तावेज आदि पेश करने का अवसर दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में मातहत अदालत ने जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत होने से उसे यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। मातहत अदालत द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 30.06.2020 के अनुसार अतिक्रमित आराजी मौजा सांडेराव–I खसरा नम्बर 755/2762 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर है बारानी प्रथम पर 0.05 हैक्टेयर पूरे पर बाड़ा बनाकर पश्चातवृती अतिक्रमण किये जाने से प्रकरण संख्या 43/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तंहत दर्ज कर कारवाई की गई एवं अपीलांट को जरिये नोटिस दिनांक 01.07.2020 को जारी कर दिनांक 21.07.2020 को सुनवाई हेतु तलब किया गया। सुनवाई के दिवस अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा एवं उसने किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र जवाब अथवा दस्तावेज पेश करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण तहसीलदार द्वारा बाद नोटिस तामील के जो एकतरफा कारवाई की गई वह न्यायोचित प्रतित होती है। अपीलांट को नोटिस तामील विधिसम्मत कराया गया जो नोटिस के पृष्ठ भाग पर अपीलांट के हस्ताक्षर एवं तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर से स्पष्ट है अपीलांट को वर्ष 2019 अर्थात संवत 2076 में मातहत अदालत द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 180/19 दर्ज कर उसमें पारित निर्णय दिनांक 03.10.2019 की पालना में उसी दिवस को पटवारी हल्का सांडेराव द्वारा भौतिक रूप से जैर अपील आराजी से बेदखल कर कब्जा सरकार लिया गया था। जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर है उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए मातहत अदालत द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण की प्रवृति को रोकने के लिए पारित विधिसम्मत आदेश दिनांक 21.07.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट बलहीन व सारहीन होने से निरस्त कि जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उनके न्यायालय की पत्रावली संख्या 43/2020 बअनवान सरकार बनाम खीमाराम में पारित आदेश दिनांक 21.7.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:36:24 IST
Reason: SelfAttested